न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—51 / 2013 / 223 (2013 / 00093)

1. भंवरसिंह पुत्र स्व0 श्रीमती धन्नी पुत्री स्व0 हरजी, जाति रावत,
2. गोपी पुत्र स्व0 श्रीमती धन्नी पुत्री स्व0 हरजी, जाति रावत,
3. अमरसिंह पुत्र स्व0 श्रीमती धन्नी पुत्री स्व0 हरजी, जाति रावत,
4. उगमसिंह पुत्र स्व0 श्रीमती धन्नी पुत्री स्व0 हरजी, जाति रावत, समस्त नि0 ग्राम निंबूकिया की ढाणी नरवर, तह0 व जिला अजमेर ।
5. कल्याण पुत्र छीतर पौत्र हरजी, जाति रावत, नि0 श्रीनगर, तह.नसीराबाद, जिला अजमेर ।
6. सायर पुत्र छीतर पौत्र हरजी, जाति रावत, नाबालिगान जरिये वली माता, श्रीमती जमनी पत्नि छीतर, जाति रावत, निवासी श्रीनगर, तह.नसीराबाद, जिला अजमेर ।
7. सांवरा पुत्र छीतर पोत्र हरजी, जाति रावत, नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती जमनी पत्नि छीतर, नि0 श्रीनगर, तह0 नसीराबाद ।
8. श्रीमती गोपाली पुत्री छीतर पोत्री हरजी, जाति रावत, नि0 श्रीनगर हाल निवास मोतीसर, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
9. श्रीमती सीता पुत्री छीतर पोत्री हरजी, जाति रावत, मूल नि0 श्रीनगर, निवासी कोटड़ा, तह0 व जिला अजमेर ।
10. श्रीमती गीता पुत्री छीतर पोत्री हरजी, जाति रावत, मूल निवासी श्रीनगर, हाल निवास कानस, उप—तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।
11. श्रीमती तीजा पुत्री छीतर पोत्री हरजी, जाति रावत, निवासी श्रीनगर, हाल नि0 कोटड़ा, तहसील व जिला अजमेर ।
12. श्रीमती केसर पुत्री छीतर पोत्री हरजी, जाति रावत, मूल नि0 श्रीनगर, हाल निवासी फारकिया, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. छीतर पुत्र हरजी, जाति रावत, नि0 श्रीनगर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती कमला पत्नि बन्नासिंह, जाति रावत, निवासी फारकिया, तहसील नसीराबाद, हाल नि0 खटीक मोहल्ला, धानमण्डी के पीछे, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
3. उप पंजीयक, पंजीयन विभाग, तह0 कार्यालय, नसीराबाद, जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

5. गोकल पुत्र स्व0 श्रीमती केली पुत्री हरजी, जाति रावत, नि0 श्रीनगर हाल निवासी नामूछा की ढाणी, नरवर, तह0 व जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 15.1.2013 अंतर्गत वाद संख्या 34 / 2007.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री मौहम्मद इकबाल एवं श्री गोविन्द शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या .
3. रेस्पो0 संख्या 1 व 5 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3 व 4.

निर्णय

दिनांकः— 25.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.1.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वर्किंग जमाबंदी के अनुसार खाता संख्या नया 1145 पुराना 1189 के खसरा नंबर 1029 रकबा 8—6—10 किस्म बारानी तीन जो कि ग्राम श्रीनगर तहसील नसीराबाद में स्थित है के खातेदार हरजी पुत्र लक्ष्मण, जाति रावत दर्ज है कि जिनका स्वर्गवास हो चुका है तथा हरजी पुत्र लक्ष्मण के वारिस के एक पुत्र छीतर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पुत्रियां श्रीमती धन्नी व श्रीमती केली थे कि जिसके अनुसार हरजी पुत्र लक्ष्मण के स्वर्गवास के बाद अपीलाधीन भूमि में 1/3 हिस्सा की सहिस्सेदार श्रीमती धन्नी पुत्री हरजी एवं 1/3 हिस्सा के सहिस्सेदार श्रीमती केली पुत्री स्व0 हरजी एवं 1/3 हिस्सा के सहिस्सेदार प्रतिवादी संख्या 1 छीतर पुत्र हरजी को खातेदार हरजी पुत्री लक्ष्मण के स्वर्गवास के पश्चात् विरासत के अनुसार अधिकार प्राप्त हो गये थे, इस प्रकार विवादित भूमि कि जिसके खातेदार हरजी पुत्र लक्ष्मण के पश्चात् विधिक प्रावधानों के अनुसार अपीलाधीन भूमि के उक्त अनुसार सहिस्सेदार खातेदार हो चुके थे परन्तु हरजी पुत्र लक्ष्मण के स्वर्गवास के पश्चात् अपीलाधीन भूमि की विरासत, सक्षम अधिकारी के द्वारा हरजी पुत्र लक्ष्मण के समस्त वारिसान की बिना जांच किये प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत विरासत नामांतकरण स्वीकृत किया गया । जबकि हरजी पुत्र लक्ष्मण के दो पुत्रियां एवं एक पुत्र कि जिन्हें हरजी पुत्र लक्ष्मण के स्वर्गवास के पश्चात् अपीलाधीन भूमि में हक व अधिकार निहित हो चुके थे । हरजी पुत्र लक्ष्मण की दो पुत्रियां श्रीमती धन्नी के स्वर्गवास के बाद धन्नी को 1/3 हिस्से की भूमि जो कि वादीगण संख्या 1 से 4 को निहित हो चके थे इसी प्रकार श्रीमती केली पुत्री हरजी के स्वर्गवास के बाद उसके 1/3 हिस्से की भूमि के संदर्भ में समस्त अधिकार प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 5 को निहित हो चुके थे तथा 1/3 हिस्सा की भूमि जो कि हरजी पुत्र लक्ष्मण के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी संख्या 1 छीतर पुत्र हरजी को प्राप्त हुई । इस प्रकार अपीलांधीन भूमि जो कि वादीगण संख्या 6 से 12 की पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसमें विधि के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से की भूमि में वादीगण संख्या 6 से 12 को भी विधिक अधिकार निहित हो चुके थे । इस संदर्भ में अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण के द्वारा राजस्व वाद हक खातेदारी की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा आज्ञाप्ति के संदर्भ में विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया गया यजिस पर अधी0न्याया0 के द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15.1.2013 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज कर दिया ।

अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस संख्या 2 उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादपत्र के साथ प्रदर्श–1 वर्किंग जमाबंदी पेश की गई जिसके अनुसार अपीलाधीन भूमि के खातेदार वादी संख्या 1 से 4 के नाना एवं वादीगण संख्या 6 से 12 के दादा तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 के नाना हरजी पुत्र लक्ष्मण खातेदार दर्ज है। खातेदार हरजी पुत्र लक्ष्मण के स्वर्गवास के बाद हरजी पुत्र लक्ष्मण की दो पुत्रियां धन्नी व केली एवं एक पुत्र छीतर को 1/3, 1/3 हिस्सा की भूमि निहित हो चकी थी । इस संदर्भ में प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत कर यह स्वीकार किया कि अपीलाधीन भूमि के खातेदार हरजी पुत्र लक्ष्मण की खातेदारी की भूमि है तथा यह भी स्वीकार किया कि हरजी पुत्र लक्ष्मण के दो पुत्रियां व एक पुत्र है । ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा हरजी पुत्र लक्ष्मण की दो पुत्रियां श्रीमती धन्नी व केली होना तथा श्रीमती धन्नी के वारिस वादीगण संख्या 1 से 4 होना एवं श्रीमती केली के वारिस प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 5 को होना स्वीकार किया है परन्तु अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि श्रीमती धन्नी व केली का सजरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के पैरा संख्या 1 में इस संदर्भ में कोई आपत्ति ही नहीं ली गई बल्कि श्रीमती धन्नी व केली को हरजी की पुत्रियां होना स्वीकार किया है । हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 8 के अनुसार हरजी के स्वर्गवास के उपरांत उनकी दो पुत्रियां श्रीमती धन्नी व केली तथा प्रतिवादी संख्या 1 छीतर के साथ बहिस्सा बराबर अधिकार निहित हो चुके थे परन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त समस्त तथ्यों को मानने के बावजूद वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विवादित आराजियात पुश्तैनी आराजियात है जिसमें भारतीय उत्तराधिकार अधि0 के प्रावधानों के अनुसार पुश्तैनी भूमि में पोते एवं पोतियों को भी जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो चुके थे इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 छीतर के 1/3 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण संख्या 5 से 12 भी सहिस्सेदार है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री में यह अंकित किया है कि वादीगण के द्वारा विरासत नामांतकरण संख्या 935 दिनांक 25.5.1987 को चुनौती नहीं दी गई है जबकि वादपत्र के पैरा संख्या 5 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि हरजी पुत्र लक्ष्मण के स्वर्गवास के बाद विरासत नामांतकरण जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया गया है वह विधि के प्रतिकूल है, प्रारंभ से शून्य है जिसे शून्य घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया गया बैनामा भी प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है जिसे सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दिये जाने की आवश्यकता नहीं है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि अपीलाधीन भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं है जबकि विधि के सिद्धांत के अनुसार खातेदार हरजी के स्वर्गवास के पश्चात् अपीालधीन भूमि के संयुक्त सहिस्सेदार श्रीमती धन्नी व केली एवं छीतर पुत्र हरजी का बिना विभाजन के संयुक्त कब्जा काश्त

माना जावेगा । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । प्रतिवादी संख्या 2 ने खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के विवादित आराजियात क्रय कर कब्जा काश्त प्राप्त किया है तथा क्रय दिनांक से विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चला आ रहा है । वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने दुर्भिसंधि कर यह वाद पेश किया है। प्रतिवादी नाम नामांतकरण तस्दीक हो चुका है । रेस्पो0 संख्या 2 के नाम निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराये बिना वादीगण/अपीलांटस को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/अपीलांटस द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी के उपस्थित होने पर प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाबदावा पेश कर वाद कथनों से इंकार किया । अधी0न्याया0 ने वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर कुल 4 तनकियात कायम की है । वादीगण/अपीलांटस ने अपने वादपत्र के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबंदी खतौनी ग्राम श्रीनगर, प्रदर्श–2, चौसाला जमाबंदी संवत् 2065 से 2068, एक्जी0 ए–1, एक्जी0 ए–2 नकल आधार जमाबंदी, एक्जी0ए–3 मिलान क्षैत्रफल, एक्जी0 ए–4 खसरा गिरदावरी संवत् 2066, विक्रय पत्र दिनांक 20.12.2005 एक्जी0ए–5 एवं नक्शा ट्रेस पेश किये है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 से 3 का निर्णय एक साथ किया है । अधी0न्याया0 ने उक्त तनकी निर्णय में वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विवेचन व विश्लेषण नहीं कर मात्र सरसरी तौर पर उक्त तनकियात प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की है । जबकि अधी0न्याया0 को प्रत्येक तनकी पर अलग–अलग विवेचन करते हुए दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित करना चाहिये था । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलांटस ने अपने वाद में विवादित आराजियात पुश्तैनी आराजियात होने का कथन कर वाद पेश किया है जिसमें यह कथन किया है कि विवादित आराजियात में खातेदार हरजी पुत्र लक्ष्मण की दो पुत्रियां श्रीमती धन्नी व केली एवं प्रतिवादी संख्या 1 छीतर पुत्र हरजी प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को संपूर्ण आराजियात विक्रय करने का अधिकार नहीं था । अधी0न्याया0 ने इस संबंध में कोई विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.1.2013 को

निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट/प्रतिवादी को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, वादीगण/अपीलांटस एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वाद को गुणावगुण पर पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 25.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर